न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 01/2020 (2020/00008)

तारीख दायरा–08.01.2020

तारीख निर्णय–18.01.2021

1. श्री जीवाराम पिता हीरा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी सुआवतों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री चुन्नीलाल पिता रूपा मेघवाल उम्र वयस्क निवासी सुआवतों का गुडा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा पालीदाणा पटवार हल्का पुनावली की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 1 मे वर्णित आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 कुल किता 1 रकबा 0.7100 है0 भूमि में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी संख्या 21,23,24 वगैरह होकर हाल आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 में से 2.5 बीधा भूमि प्रार्थीगण के पिता हिरा पिता गोपा मेघवाल के नाम मि0न0 12/66ए दिनांक 16.03.1966 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुई थी, एवं उक्त आराजीयात भूमि ईन्तकाल संख्या 243 से खातेदारी हक प्राप्त हुआ था तभी से प्रार्थीगण आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त है। प्रार्थीगण के पुर्वज श्री हीरा पिता गोपा मेघवाल के फौत होने के बाद उनके विधिक वारीसानों प्रार्थी संख्या 1 स्वंय एवं प्रार्थी संख्या 2 के पिता रूपा मेघवाल के नामान्तकरण संख्या 243 से खाते दर्ज करने कि स्वीकृति हुई थी, जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 तक वादग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम पर दर्ज हो चुकी थी। परन्तु सेटमेन्ट विभाग की गलती से आंवटित भूमि 2.5 बीधा भूमि पुनः बिलानाम दर्ज हो गई, प्रार्थी के साथ न्यायोचित नहीं है। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजीयात भूमि को पुनः इन्द्राज दुरस्त कर रेकर्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

पालीदाणा पटवार क्षेत्र पुनवाली तहसील गोगुन्दा के साबिक संख्या 21,23,24,26 वगैरह रकबा 2.5 बीधा भूमि आवंटी श्री हीरा पिता गोपा मेघवाल के नाम से जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 के खाता संख्या 146 पर दर्ज थी। उक्त साबिक संख्या 21,23,24,26 वगैरह के नए आराजी नम्बर 668 रकबा 0.7100 है0 बने है जो वर्तमान में बिलानाम काश्त दर्ज है। आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 भूमि पर वादीगण काबिज है, जिसमें से पुर्व में आवंटन के अनुसार 0.5400 है0 भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, अतः उक्त वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 में से 0.5400 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है। मौके पर प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण की मौजा पालीदाणा पटवार क्षेत्र पुनवाली तहसील गोगुन्दा के साबिक संख्या 21,23,24,26 वगैरह रकबा 2.5 बीधा भूमि आवंटी श्री हीरा पिता गोपा मेघवाल के नाम से जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 के खाता संख्या 146 पर दर्ज थी। उक्त साबिक संख्या 21,23,24,26 वगैरह के नए आराजी नम्बर 668 रकबा 0.7100 है0 बने है जो वर्तमान में बिलानाम काश्त दर्ज है। आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 भूमि पर वादीगण काबिज है, जिसमें से पुर्व में आवंटन के अनुसार 0.5400 है0 भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, अतः उक्त वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 में से 0.5400 है0 भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। पेरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पेरोकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा पालीदाणा पटवार क्षेत्र पुनवाली तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के आराजी संख्या 668 रकबा 0.7100 है0 भूमि में से रकबा 0.5400 है0 (2.5 बीधा) भूमि प्रार्थीगण श्री जीवाराम पिता हीरा एवं श्री चुन्नीलाल पिता रूपा मेघवाल के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार गोगुन्दा को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला–उदयपुर(राज.)